



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18032023-244471

CG-DL-W-18032023-244471

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मार्च 12—मार्च 18, 2023, शनिवार/फाल्गुन 21—फाल्गुन 27, 1944
No. 10] NEW DELHI, MARCH 12—MARCH 18, 2023, SATURDAY/PHALGUNA 21—PHALGUNA 27, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2023

सा.का.नि. 23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में उप निरीक्षक (संचार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, उप निरीक्षक (संचार) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर — पद संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं, आदि — भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता — वह व्यक्ति —
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
 उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
 परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निरीक्षक (संचार)।	01* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर — 5 (रु. 29,200— रु 92,300)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों और समन्वय निदेशालय पुलिस वायरलेस / केंद्रीय राज्य दूरसंचार शाखा के ऐसे कार्मिकों में से। (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हों या जिन्होंने रेडियो तकनीशियन के रूप में कार्यरत ऐसे सहायक उप निरीक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200—92,300 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं . 23011/69/2022—पीटी]

दिब्येन्दु कुमार घोष, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 7th March, 2023

G.S.R. 23.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sub- Inspector (Communication) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad in the Ministry of Home Affairs, namely:-

- Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Sub-Inspector (Communication) Recruitment Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix. – The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age- limit and qualifications, etc. - The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification. - No person.-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection Post or Non-Selection Post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sub-Inspector (Communication).	01* (2023) *Subject to variation dependent on work.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 5 (Rs. 29,200/- – Rs. 92,300/-).	Not applicable.

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: From amongst personnels of Central Armed Police Forces, Central Police Organisations and Directorate of Coordination Police Wireless/Central State Telecommunication branch. (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) Assistant Sub-Inspector working as Radio Technician with three years of regular service in Level 5(Rs.29,200-92,300) of pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis. Note 1- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2- The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.	Not applicable.	Not applicable.

[F. No. 23011/69/2022-PT]

DIBYENDU KUMAR GHOSH, Under Secy.

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 फ़रवरी, 2023

सा.का.नि. 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यटन मंत्रालय और नागर विमानन (पर्यटन विभाग) भारत सरकार के पर्यटक कार्यालय (समूह 'IV' पद) भर्ती नियम, 1973 तथा पर्यटन मंत्रालय बहुकार्य कर्मचारी वृन्द समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2012 को उन बातों के सिवाए अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यटन मंत्रालय के भारत पर्यटन कार्यालय तथा मुख्यालय में बहु-कार्य कर्मचारीवृन्द के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यटन मंत्रालय मुख्यालय और भारत पर्यटन कार्यालय बहु-कार्य कर्मचारीवृन्द (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और वेतनमान में ग्रेड वेतन.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति।

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है. या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसी आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)
बहु-कार्य कर्मचारी - वृन्द	71*(2023) (मुख्यालय स्थापना में 27 पद और भारत पर्यटन कार्यालयों में 44 पद) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अननु - सचिवीय)	स्तर - 1 रु. (18,000 - 56,900)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। टिप्पणी : आयु सीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्त या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होगा
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना:		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)	
पर्यटन मंत्रालय के मुख्यालय स्थापना में समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) में सम्मिलित है :		लागू नहीं होता
अवर सचिव (प्रशासन-I) पर्यटन मंत्रालय - अध्यक्ष;		

सहायक निदेशक (प्रशासन-I) पर्यटन मंत्रालय - सदस्य; केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से कोई समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी - सदस्य भारत पर्यटन कार्यालयों में समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) में सम्मिलित है; क्षेत्रीय निदेशक (पर्यटन) - अध्यक्ष सहायक निदेशक (प्रशासन) भारत पर्यटन कार्यालय - सदस्य केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से कोई समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी - सदस्य	
--	--

[फा. सं. ए-12018/2/2022-प्रशासन-I]

राजेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi, the 23rd February, 2023

G.S.R. 24.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in suppression of the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Department of Tourism) Tourist Offices of Government of India, (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1973 and the Ministry of Tourism, Multi-Tasking Staff, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking-Staff in the Headquarters and in India Tourism Offices of the Ministry of Tourism, namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Tourism Headquarters and India Tourism Offices, Multi-Tasking-Staff (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, and level in pay matrix.—The number of posts, its classification, and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Multi-tasking Staff.	*71 (2022) [27 posts In the Head Quarters Establishment and 44 posts in the India Tourism Offices] *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted Non-Ministerial).	Level-1, Rs. (18000-56900)

Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. Note: Crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.

If Departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee in Headquarter establishment of Ministry of Tourism (for considering confirmation) consisting of: - 1. Under Secretary (Administration-I), Ministry of Tourism - Chairman; 2. Assistant Director (Administration-I), Ministry of Tourism - Member; 3. Group 'B' Gazetted officer from any other Ministry or	Not applicable.

Department of the Central Government - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee in India Tourism Offices (for considering confirmation) consisting of :- 1. Regional Director (Tourism)- Chairman; 2. Assistant Director (Administration), India Tourism Office - Member; 3 Group 'B' Gazetted officer from any other Department/office of the Central Government - Member.	
---	--

[F. No. A-12018/2/2022.Admn.I]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

**उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
(पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग)**

नई दिल्ली, 23 फ़रवरी, 2023

सा.का.नि. 25.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2005 को, जहां तक उनका संबंध सलाहकार (सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन), पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में उप सलाहकार (सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, उप सलाहकार (सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप सलाहकार (सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन)	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'क'	लेवल - 12 (78,800 - 2,09,200/- रु.).	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या वैधानिक या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी -	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा पद को भरने

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हों, या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (67,700 – 2,08,700/- रुपये) में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री। (ii) जलविज्ञान या जल संसाधन विकास परियोजनाओं की आयोजना या अन्वेषण या डिजाइन या निर्माण और निष्पादन के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव। टिप्पण-1- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-2- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।
---	---

[फा. सं. NEC-17/1/2022-O/o US(NEC)]

अंजना, अवर सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(North Eastern Council Secretariat, Shillong)

New Delhi, the 23rd February, 2023

G.S.R. 25.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2005, in so far as they relate to the post of Advisor (Irrigation, Flood Control and Water Management), North Eastern Council Secretariat, Shillong, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Adviser (Irrigation, Flood Control and Water Management) in North Eastern Council Secretariat, Shillong under the Ministry of Development of North Eastern Region, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Deputy Adviser (Irrigation, Flood Control and Water Management) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in Pay Matrix.**—The number of the post, its classification and Level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Adviser (Irrigation, Flood Control and Water Management).	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level 12 (Rs. 78800-209200/-).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or Universities or recognized research institutions or statutory or autonomous organizations : (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 11 (Rs. 67700-208700/- in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b)possessing the following educational qualifications and experience : (i) Bachelor's degree in Civil Engineering from a recognized	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post on Deputation (including short-term contract)

University or institute. (ii) ten years' experience in the field of hydrology planning or investigation or design or construction and execution of water resources development projects. Note 1: Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.		
--	--	--

[F. No. NEC-17/1/2022-O/o US (NEC)]

ANJANA, Under Secy.